यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ , चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ , चमोली** के माह 04/2015 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 23.02.2018 से 27.02.2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मोहम्मद सलीम खान, पर्यवेक्षक एवं श्री अनिल कुमार-I, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.05.2015 से 22.05.2015 से तक श्री तक श्री राकेश कुमार लेखापरीक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वानिकी एवं वन्य जीवन को संरक्षित करने के कार्य एवं रेंज जोशीमठ एवं फूलो की घाटी का क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	49.27
2015-16	88.63
2016-17	147.03

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	0	75.16	437.04	410.74	709.08	680.64
2015-16	0	89.07	416.50	349.42	923.66	903.24
2016-17	0	38.23	473.18	253.28	584.95	587.98

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	**प्रा0 अ0**	**प**ाप्त	व्यय
2015-16	NDNP	--	14.61	11.54
	VOFNP	--	30.01	27.84
2016-17	इंटिन्सिफिकेसन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट		1.20	1.20
	नन्दा देवी बायोस्फ़ियर रिसर्व की स्थापना		106.22	106.22
	NDNP		86.75	86.75
	VOFNP		47.49	47.49

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक → मुख्य वन संरक्षक → वन संरक्षक → उपनिदेशक।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ, चमोली** को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ , चमोली** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो - शून्य

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01 – लीज किराया `25.10 लाख वसूल न किया जाना एवं ब्याज की धनराशि ` 8.21 लाख वसूली पत्र मे शामिल न किया जाना ।

A late fee calculated at 02 paise per hundred rupee per day (i.e. 7.3% per annum) would be payable if the payment is made after the grace period of 30 days but before the expiry of 60 days. The late fee payable will be calculated for the entire period of delay including the grace period and (iii) if the payment is made after the expiry of 60 days, late fee at 5 paise per hundred per day (i.e. 18.25% per annum) would be charged from the date of instalment fee due according to article 152, page no. 196 ii of the Uttar Pradesh forest manual (8th edition).

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ चमोली के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत तीन पट्टे ग्रहीताओं ऋषिगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट लि0 181443/- ऋषिगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट लि0 1069684/- एवं जी.एम.आर एनर्जो 1258740/- द्वारा विभाग में लीज किराए की धनराशि 25.10 लाख जमा नहीं की गयी है। वार्षिक लीज किराया विलम्ब से जमा करने पर ब्याज भी देय है। अत: विलम्ब से जमा धनराशि पर ब्याज 8.21 लाख (सूची संलग्न) भी देय है।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लीज किराया जमा कराये जाने हेतु क्र0 सं0 01 एवं 02 की वसूली हेतु जिलाधिकारी जिला चमोली को पत्र लिखा गया है। विलंब से लीज किराया जमा कराये जाने हेतु 18.25 प्रतिशत वार्षिक व्याज लगाए जाने का प्रावधान है।

प्रभाग द्वारा ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना 3.993 हेक्ट एवं ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना 2.915 हेक्ट 2 लीज से संबन्धित लीज किराए हेतु जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिखा गया किन्तु इस वसूली मे व्याज 8.21 लाख की धनराशि को शामिल नहीं किया गया था। (संलग्न सूची)

अतः लीज किराया 25.10 लाख जमा न कराया जाना तथा ब्याज की धनराशि 8.21 लाख वसूली हेतु शामिल न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	वर्ष	जमा धनराशि/वार्षिक किराया	विलम्ब की अवधि दिनांक 28.02.2018 तक	ब्याज की धनराशि ( )
ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना 2.915 हेक्ट				
1	24.01.2016 से 23.01.2017	60,481	2 वर्ष 1 माह 6 दिन	23164
2	24.01.2017 से 23.01.2018	60481	1 वर्ष 1 माह 6 दिन	12126
ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना 3.993 हेक्ट				
1	30.07.10 से 29.07.11	159720	3 वर्ष 7 माह 11 दिन	107492
2	30.07.11 से 29.07.12 10.03.2014 से 28.02.2018 तक	159720 159720-48356 =111364 शेष वर्षो हेतु	2 वर्ष 7 माह 11 दिन 3 वर्ष 11 माह 21 दिन	78343 80516
3	30.07.12 से 29.07.13	159720	5 वर्ष 7 माह 02 दिन	159720 अधिकतम
4	30.07.13 से 29.07.14	159720	4 वर्ष 7 माह 02 दिन	133526
5	30.07.14 से 29.07.15	159720	3 वर्ष 7 माह 02 दिन	104377
6	30.07.15 से 29.07.16	159720	2 वर्ष 7 माह 02 दिन	75228
7	30.07.16 से 29.07.17	159720	1 वर्ष 7 माह 02 दिन	46079
			योग	820571

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 02 : वन पंचायतों पर `125.98 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति (जनवरी 2006) द्वारा वन पंचायतों के रख-रखाव, विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड वन पंचायत नियमावली, 2005 का गठन किया गया। उक्त नियमावली के प्रस्तर-11 के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायत वनों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए एक संहत प्रबंध योजना बनायेगी। नियमावली के प्रस्तर-2 (च) के अनुसार संहत प्रबन्ध योजना ऐसी योजना है जो प्रभाग के क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम वनों/ पंचायत वनों के लिए निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 5 वर्ष के लिए बनायी जानी चाहिए। संहत प्रबन्ध योजना में ग्राम वनों/पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी ग्राम वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ही सम्बन्धित वन रक्षक/वन दरोगा की सहायता से सम्बन्धित वन पंचायत हेतु एक प्लान बनाने का प्रावधान हे जिससे ग्राम वनों/पंचायत वनों का विकास, परिस्थितिकी सन्तुलन को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

प्रभाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त नियमावली में दिये गये प्रावधानों के विपरीत वन पंचायतों को बिना किसी संहत प्रबन्ध योजना के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कुल `125.98 लाख की धनराशि कुल 37 वन पंचायतों को निर्गत की गयी एवं ` 125.98 लाख व्यय अंकित किया गया था ।

लेखापरीक्षा में यह पूछे जाने पर कि बिना संहत प्रबन्ध योजना के निर्माण हेतु वन पंचायतों को धनराशि किस आधार पर निर्गत की गयी, यह बताया गया कि उच्च स्तर से संबन्धित वर्ष मे कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ए पी ओ प्रटूट करने हेतु दिये गए निर्देशों के अनुपालन मे उस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एपीओ तैयार करके निदेशक/वन संरक्षक न0 दे0 बायोस्फियर रिसर्व गोपेश्वर चमोली के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम स्तर से अनुमोदित एपीओ एवं उस चालू वित्तीय वर्ष मे प्रभाग को कुल उपलब्ध कराई गयी धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित कार्यो मे धनराशि व्यय की जाती है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड वन पंचायत नियमावली, 2005 के प्रस्तर 11, 12 एवं 13 के अनुसार वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु संहत प्रबन्ध योजना में दिये गये निर्देशों के आधार पर ही पंचातों द्वारा बनाये गये माइक्रोप्लान तथा उसके उपरान्त पंचायतों द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्यान्वयन योजना के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जानी चाहिए।

अतः वन पंचायतों द्वारा किये गये अनियमित व्यय `125.98 लाख का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 26.93 लाख।

वभाग में प्रच लत कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पष्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ चमोली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के <u>प्रथम वर्ष</u> उपचार तथा उन्मूलन हेतु 200 हेक्टेयर, 63 हेक्टेयर एवं 80.30 हेक्टेयर का चयन किया गया। जिन पर क्रमश ₹ 15.70 लाख, ₹ 4.99 लाख तथा ₹ 6.42 लाख का व्यय किया गया है। उक्त क्षेत्रों में द्वितीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः, प्रभाग द्वारा 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 26.93 लाख का व्यय निष्फल रहा।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया लेंटाना उन्मूलन हेतु 3 वर्षो के लिए बजट की मांग की जाएगी।

अतः, ₹ 26.93 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-04 वन जमा मे अवरुद्ध धनराशि ` 52.62 लाख

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए नियमो के अनुसार वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाने हेतु मंजोरी देते समय वनेत्तर प्रयोजनो के लिए उपयोग लायी जाने वाली वन भूमि के प्रस्तावो के साथ एक व्यापक योजना बनाकर प्रस्तुत करना होता है। वनेत्तर प्रयोजनों हेतु दी जाने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है या वनेत्तर प्रयोजन हेतु दी जाने वाली वन भूमि से कम है तो वहाँ क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयोग मे लाये जा रहे क्षेत्र से दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशिमठ, चमोली के अभिलेखो की जांच मे पाया गया की प्रभाग के वन जमा मे भूमि हस्तांतरण के बदले मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ` 52.62 लाख विगत कई वर्षों से बिना उपयोग के पड़ा है। बिना उपयोग के वन जमा मे धन का पड़ा रहने से वन्यजीव एवं परिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि वन जमा से वर्ष 2017 की अनुसूचित दर ` 1,17,000 (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर) से वृक्षारोपण किया गया होता तो कम से कम 44.97 हेक्टेयर वन भूमि मे वृक्षारोपण किया जा सकता था।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया कि वन जमा अवशेष पड़ी धनराशि वर्ष 1997 से 2010 तक कि है जो कि कालातीत हो चुकी है पुनर्वैधी करण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अतः वन जमा मे अवरुद्ध धनराशि ₹ 52.62 लाख का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

STAN-01 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत की धनराशि जमा न किया जाना ₹0.20 लाख/

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडोन के जमानत जमा से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष राशि (₹)
1	श्री निर्मल रंजन	वन आरक्षी	4000	1000	3000
2	श्री राजेंद्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	4000	500	3500
3	श्री भगत सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	6000	0	6000
4	श्री सत्येंद्र सिंह	वन आरक्षी	4000	1000	3000
5	श्री कर्ण सिंह रावत	वन दारोगा	8000	4000	4000
योग					**19500**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों जमानत जमा करा लिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
25/2015-16	-	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
25/2015-16	-	02,03

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ ,चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) ₹10.40 लाख के वाउचर प्रस्तुत न किया जाना

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि
1	B80000003	03.03.2016	140700
2	B24060031	08.03.2016	22000
3	A24060015	11.03.2016	59667
4	A24060019	17.03.2016	268093
5	A24060020	19.03.2016	439289
6	B24060274	22.03.2016	6712
7	A224060058	31.03.2016	103789
		योग	**1040250**

2. सतत् अनियमतताएः

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजीव धीमान	उप वन संरक्षक
(ii)	श्री चन्द्र शेखर जोशी	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दा देवी राष्ट्रीय, पार्क जोशीमठ , चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व